भारत सरकार

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्

प्रेस विज्ञप्ति

28 जुलाई, 2011

---

1. दिनांक 28 जुलाई, 2011 को 2 मोती लाल नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की पन्द्रहवीं बैठक की अध्यक्षता की।

2. इस बैठक भाग लेने वाले सदस्यों में प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन, डॉ. नरेन्द्र जाधव, प्रो. प्रमोद टंडन, सुश्री अरुणा रॉय, श्री माधव गाडगिल, श्री नरेश सी. सक्सेना, श्री दीप जोशी, सुश्री अनु आगा, सुश्री फराह नकवी, श्री हर्ष मंदेर तथा सुश्री मीरई चटर्जी शामिल थे।

3. संयोजक श्री दीप जोशी ने परिषद् के समक्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम तथा राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन के बीच तालमेल बिठाने के संबंध में कार्य-समूह की सिफारिशें प्रस्तुत कीं।

4. कार्य-समूह द्वारा प्रस्तुत की गई कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं –

   क. गहन सहायता तथा सुविधा के लिए एक मिशन संरचना सृजित करना
   ख. प्राकृतिक गांव/बसावट से संबंधित आयोजना को विकेन्द्रित करना
   ग. गांव तक के विभिन्न स्तरों पर तकनीकी क्षमता सृजित करना
   घ. प्रशिक्षण एवं सहायता तंत्र स्थापित करना और गांवों में कार्य पर रखे जाने वाले लोगों को प्रशिक्षण देने तथा कार्यान्वयन सहायता उपलब्ध कराने के लिए निधियां निर्धारित करना
   ड.. प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए दो तिहाई निवेश करने पर जोर देना
   च. उत्पादक परिसंपत्तियों का उपयोग करने के लिए योजनाओं के साथ तालमेल के लिए एक तंत्र स्थापित करना

5. कार्य-समूह द्वारा संस्तुत बुनियादी सिद्धांत निम्नलिखित हैं –

5.1 मनरेगा के तहत ब्लॉक /मंडल स्तर पर धन के मामले में सभी कार्यों में से कम से कम दो तिहाई कार्यों में भूमि तथा जल संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि उन संसाधनों की उत्पादकता तथा गरीबों की आय स्थायी रूप से बढ़ सके।

5.2 मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत में तब तक कोई दूसरा काम नहीं किया जाएगा जब तक कि बसावट स्तरीय योजना के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय ग्रमीण मिशन कार्यों का कार्यान्वयन पूरा नहीं हो जाता।

5.3 वनाधिकार अधिनियम के तहत गरीबों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वालों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संपत्तियों और इन्हें आवंटित भूमि को विकसित करने पर सर्वाधिक जोर दिया जाएगा।

5.4 सहभागतापूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से प्राकृतिक गांव अथवा बसावट स्तर पर बनाई गई बहुवर्षीय योजनाओं के आधार पर काम शुरू किए जाएंगे। ये योजनाएं किसी भी गांव में प्राकृतिक संसाधन आधार को विकसित करने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होंगी। इन योजनाओं में ही अन्य योजनाओं जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/ वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन इत्यादि के साथ तालमेल करने की भी व्यवस्था होगी ताकि उत्पादकता और आय बढ़ाई जा सके।

5.5 मनरेगा की अनुसूची-I की धारा-1 में मनरेगा के तहत अनुमत कार्यों का उल्लेख है। जल संरक्षण तथा जल संग्रहण, सूखे की रोकथाम (वनीकरण तथा पौध रोपण सहित), तालाबों की गाद निकालने सहित पारंपरिक जल निकायों को नवीकरण, भूमि विकास और बाढ़ नियंत्रण इत्यादि कार्य सार्वजनिक भूमि पर ही किए जाएंगे। जबकि अनुसूची की धारा-1 की मद (iv) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों अथवा इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों अथवा छोटे और सीमांत किसानों की निजी जमीन पर किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख है। यह सिफारिश की जाती है कि श्रेणी (iv) के तहत, सिंचाई-कुएं सहित सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान, बागवानी करने, पौधे लगाने, जड़ी-बूटी व घास उगाने, जमीन समतल

करने, चट्टान हटाने जैसे कार्यों के साथ साथ मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए तालाबों की गाद निकालने के कार्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों, इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों, छोटे तथा सीमांत किसानों की जमीन पर किए जाएंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले किसानों तथा इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों की जमीनों पर कार्य पूरा होने के बाद ही छोटे तथा सीमांत किसानों की जमीन पर कार्य किए जाएंगे।

5.6 जिन स्थानों पर सिंचाई-कुएं बनाने के कार्य किए जा रहे हैं वहां सामुदायिक कुएं बनाने के कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी।

5.7 जलाशयों के विकास के लिए सरकारी विभागों सहित किसी भी अन्य एजेंसी द्वारा बनाई गई अन्य सभी योजनाओं के स्थान पर मनरेगा योजना ही चलाई जाएगी।

5.8 कार्यान्वयन की प्रणालियों द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्यों के प्रकार और उनके प्रारंभ के समय का निर्धारण करने में मुख्य साझेदारों जैसे मजदूरी करने वालों की वृहत्तर/अहम भूमिका सुनिश्चित की जाएगी।

5.9 प्राकृतिक संसाधन विकास योजनाओं की योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने की क्षमता बढ़ाने संबंधी तंत्रों को क्षेत्रों में कार्य कर रहे सिविल सोसायटी संगठनों की वृहत्तर/अधिक भागीदारी के जरिए संस्थापित किया जाएगा।

6. विचार-विमर्श के बाद राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् इन संस्तुतियों से सहमत हो गई और इन संस्तुतियों से सरकार को जल्दी ही अवगत करा दिया जाएगा।

7. संयोजक डॉ. नरेन्द्र जाधव ने परिषद के समक्ष विमुक्त, घुमंतू और अर्धघुमन्तू जनजातियों पर कार्य-समूह के निष्कर्षों और प्रस्तावों को प्रस्तुत किया। इन प्रस्तावों पर कार्य-समूह में आगे और विचार-विमर्श किया जाएगा। यह कार्य प्रगति पर है।

8. सामाजिक सुरक्षा पर कार्य-समूह की संयोजक सुश्री मीरई चटर्जी ने इस विषय पर अब तक हुई चर्चाओं की प्रगति को प्रस्तुत किया। यह कार्य प्रगति पर है।

9. जवाबदेही और पारदर्शिता पर कार्य-समूह की संयोजक सुश्री अरुणा रॉय ने कानून से पहले की प्रगति पर अपनी प्रस्तुति दी। यह कार्य प्रगति पर है।

10. अल्पसंख्यक मामले पर एक नए कार्य-समूह का गठन किया गया है जिसके संयोजक श्री हर्ष मंदेर हैं।

11. राट्रीय सलाहकार परिषद् की अगली बैठक दिनांक 26 अगस्त, 2011 को निर्धारित की गई है।

....